राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां

पीठासीन अधिकारी नंदकिशोर राजोरा RAS

प्रकरण संख्या :– 38/2017

दायरा दिनांक :– 21.06.2017

निर्णय दिनांक :– 28/8/019

उनवान

1. माणक चंद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति साहू निवासी छबडा तह. छबडा जिला बारां

वादी

बनाम

1. केशव पुत्र श्री बजरंग जाति साहू निवासी छबडा तह. छबडा जिला बारां
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री गोरधन लाल जाति गौड निवासी चौधरी मोहल्ला छबडा तह. छबडा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 RTA

निर्णय 28/8/019

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगणों के इस न्यायालय में इस आशय के साथ पेश किया कि उनके ग्राम छबडा तह. छबडा में खाता संख्या 232/212 में भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा भूमि अवस्थित है। जिसका बटवारा होकर इ. नं. 1835 दिनांक 20.10.2014 से निम्न प्रकार दर्ज हुआ।

आशा गर्ग पत्नि रामकरण महाजन निवासी छबडा को खसरा नं. 263 रकबा 2.18 बीघा भूमि व माणक चंद (वादी) पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण साहू निवासी छबडा तह. छबडा को खसरा नं. 263/2 रकबा 2.12 बीघा एवं 263/4 रकबा 4.13 बीघा कुल किता 2 रकबा 7.05 बीघा भूमि कब्जे काश्त में है।

खातेदार आशा गर्ग द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी न. 2 को बेचान किया जा चुका है। जो इ.नं. 1854 दिनांक 04.12.2014 से प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा ओमप्रकाश के कब्जे काश्त में है।

वादी व प्रतिवादी गणों के मध्य इ.न. 1835 दिनांक 20.10.2014 से पृथक–पृथक बटवारा होकर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में अंकित हो चुका है और बटवारें के समय से ही वादी एवं प्रतिवादी गण पृथक–पृथक अपने अपने हिस्सों पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी केशव के मन में बदनियत आ जाने व उक्त भूमियात रोड के किनारे–किनारे बहूमूल्य आवासीय प्रयोजनार्थ कीमत बढजाने पर वादी की भूमियात को धीरे–धीरे कब्जा करके भूखण्ड बनाकर बेचने पर आमादा है। प्रतिवादी केशव ने वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात पर करीब आधा बीघा आराजी पर कब्ज कर लिया है व अन्य लोगों को भूखण्ड बनाकर बैचान करने पर आमादा है। वादी ने दिनांक 15.06.2017 को प्रतिवादी से अपनी भूमि की पैमाइश करवा कर वादी की भूमियात छोडने को कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया व धमकी दी कि मेरे कब्जे में

Scanned by CamScanner

जो जमीन है, वह मेरी है। मैं किसी भी किमत पर कब्जा नही छोडूंगा। इस कारण वाद पत्र पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ।

यदि प्रतिवादी जबरन वादी की भूमि पंर कब्जा करके भूखण्ड बनाकर बेच दिये तो वादी को अपरिमित क्षति होगी और अनके मुकदामें में उलझना पडेगा जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए वादी को अपने काश्त व खातेदारी से हिस्से की आराजी की पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान करवाकर चारों तरफ तारफेंसी व कब्जा काश्त वादी को संभलाया जाना अति–आवश्यक है। ताकि प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन काश्त न करें।

अतः वाद पत्र अनुसार वादी के पक्ष मे प्रतिवादी गण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री फरमावें कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाने के आदेश फरमावें जावें तथा वादीगण को भूमियात की पैमाईश करके जो आराजी प्रतिवादी के कब्जे काश्त में निकले उससे प्रतिवादीगण को बेदखल करके वादी का कब्जा संभलाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा पेश किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में प्रमाणित नकल, जमाबंदी सम्मवत 2070 से 2073 एवं नजरी नक्शा पेश किया गया।

वादी एवं प्रतिवादीगणों की और से साक्ष्य पेश नहीं किये गये है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वांके ग्राम कस्बा छबडा में स्थित भूमि खसरा नं. 263/2 रकबा 2.12 बीघा एवं खसरा नं. 263/4 रकबा 4.13 बीघा भूमि अवस्थित है। बटवारें के बाद हिस्से अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादी के कब्जे काश्त में चली आ रही थी, परन्तु प्रतिवादी द्वारा धीरे–धीरे वादी की भूमि पर कब्जा करता चला आ रहा है। अतः विवादित भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने के आदेश प्रदान करें।

वकील प्रतिवादी की विवादित भूमि का सीमाज्ञान कराने बाबत सहमत है। वादी एवं प्रतिवादी अपनी–अपनी भूमि को पैमाईश कराने के लिए सहमत है। चूंकि उक्त प्रकरण धारा 183 आरटीए का है जिसमे अतिक्रमण भूमि से बेदखल करने का प्रावधान है परन्तु पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति दर्ज की है। ऐसी स्थिती मे, मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हुँ कि वादी एवं प्रतिवादी की भूमि की पैमाईश करादी जावे ताकि एक दूसरे की भूमि का विवाद समाप्त हो सके। वादी एवं प्रतिवादी की भूमि की पैमाईश कराया जाना न्यायोचित होगा।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कस्बा छबडा खसरा नं. 263/2 रकबा 2.12 बीघा एवं खसरा नं. 263/4 रकबा 4.13 बीघा कुल किता 2 रकबा 7.05 बीघा की पैमाईश करने हेतु तहसीलदार छबडा को अदेशित किया जाता है। तदनुरुप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर वाद तामील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नंदकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

Scanned by CamScanner